क्रमांक-18

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2012 (चैत्र 6, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 15 प्रश्नों पर (द्वितीय चक्र सहित) अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 135 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 124 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बीज की बिक्री में अनियमितता होने,
(2) श्री परसराम मुदगल, सदस्य ने मुरैना जिले के गणेशपुरा स्थित नाला जाम होने,
(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों की मांग पूरी न होने,
(4) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने जावरा शहर में समाज सेवियों पर दर्ज असत्य प्रकरण समाप्त किये जाने,
(5) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य ने पुष्पराजगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य अपूर्ण होने,
(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले की लहार पुलिस पर कार्रवाई न होने,
(7) श्री शरद जैन, सदस्य ने जबलपुर जिले में डिस्पेन्सरी का उन्नयन किये जाने तथा
(8) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने प्रशिक्षण गौ सेवकों को कृत्रिम गर्भाधान की प्राथमिकता दी जाने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित 10 ध्यानाकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, श्रीमती इमरतीदेवी, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री राधेलाल बघेल, सदस्यगण ने प्रदेश में रेत निकासी के पट्टे स्वीकृत करने का अधिकार खनिज निगम को दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्य मंत्री, खनिज साधन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा शासन द्वारा गलत जानकारी देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के ओरछा में विदेशी पर्यटकों के साथ लूटपाट होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले में अनुदान प्राप्त विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को गणवेश एवं शिक्षकों को भुगतान न दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नानाभाऊ मोहोड़, राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) डॉ. कल्पना परूलेकर, श्री आरिफ अकील, सदस्यगण तथा श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने मालवा अंचल में ओला पीड़ित कृषकों को राहत राशि न मिलने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य एवं श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने भोपाल हेतु बस रेपिड ट्रांजिट सिस्टम योजना की राशि का दुरुपयोग किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(अपराह्न 1.00 से 2.36 बजे तक अन्तराल)

(6) श्री परसराम मुदगल, सदस्य ने मुरैना जिले में शासकीय विद्यालय परिसरों में हैण्डपंप खनन का कार्य न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) श्री प्रताप ग्रेवाल, डॉ. गोविन्द सिंह, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं श्री पारस सकलेचा, सदस्यगण ने धार जिले के सरदारपुर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य ने पन्ना जिले में पत्थर खदानों में कार्यरत श्रमिकों का उचित इलाज न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(9) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य अपूर्ण होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(10) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य ने देवास के ग्राम कोन्ता में एक बालिका की हत्या होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सभापति ने लोक लेखा समिति का 142वां से 158वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) पटल पर रखे गए पत्रों के परीक्षण करने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री देवेन्द्र वर्मा, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का बारहवां, तेरहवां, चौदहवां तथा पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री परसराम मुदगल (जिला-मुरैना)
(2) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(3) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(4) श्री ताराचंद बावरिया (जिला-छिन्दवाड़ा)
(5) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(6) श्री रामलल्लू वैश्य (जिला-भोपाल)

6. लोक निर्माण मंत्री का प्रश्न के उत्तर सम्बन्धी वक्तव्य

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 29 जुलाई, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 10 (*क्र. 2790) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2012 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है:-

क्र.	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
(1)	मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि विधेयक, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012)	30 मिनट
(2)	मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012)	1 घण्टा
(3)	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012)	30 मिनट
(4)	राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012)	30 मिनट
(5)	मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012)	1 घण्टा
(6)	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 10 सन् 2012)	1 घण्टा

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा बिजली, शक्कर एवं कपड़े पर शासन द्वारा टैक्स समाप्त न करने के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया गया)

अपराह्न 4.56 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2012 (चैत्र 7, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 26 मार्च, 2012